

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-075 (एस0टी0)/85, दिनांक: 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर पर जुलाई, 2020 से दिसम्बर, 2020 के औसत अंक 341 (तीन सौ इकतालीस) पर दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शतप्रतिशत निष्प्रभावी करके विशेष भत्ता देय है।

दृष्टांत -रु0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक देय विशेष भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(341-239) \times 6350}{239} = 2710.04 \text{ रु0 प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय विशेष भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेंट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	विशेष भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	2710.04	9060.04	348.46
	अर्द्धकुशल	7000	2987.447	9987.44	384.13
	कुशल	7840	3345.94	11185.94	430.22
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	2872.21	9602.21	369.31
	अर्द्धकुशल	7420	3166.69	10586.69	407.18
	कुशल	8310	3546.52	11856.52	456.02
	अति कुशल	8975	3830.33	12805.33	492.51
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	3217.907	10757.908	413.76
	अर्द्धकुशल	8980	3832.468	12812.46	492.78
	कुशल	10640	4540.92	15180.92	583.88
	अति कुशल	12565	5362.468	17927.46	589.51

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: १११-१००१/आई0आर0-2021 (विशेष भत्ता)

दिनांक 25-05 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
3. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- उप श्रम आयुक्त, नजारात को नाटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

Khr
25.05.2021
(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।